आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 930/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय– एमसीसी 2, द्वितीय तल, प्लॉट नं. जे–2, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स विनायक इन्टरनेशनल जरिये निदेशक श्री विकास अग्रवाल,
   पताः– प्लॉट नं. 10, श्री कृष्णा विहार–ए, आकेड़ा डूंगर, जयपुर।
   एव प्लॉट नं. ई–236, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।
2. श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री गणेश कुमार अग्रवाल,
3. मैसर्स विनायक मेटा इस्पात (जयपुर) एलएलपी, जरिये पार्टनर श्री गणेश कुमार अग्रवाल,
4. श्री गणेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामकुमार अग्रवाल,
5. श्रीमती अनिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री गणेश कुमार अग्रवाल,
   पताः– प्लॉट नं. ई–236, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 19.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **1. श्रीमती अनिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री गणेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. ई–236, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर** (The building along with all constructed and superstructures, fixed assets, Embedded assets, Ertions, installations, open area etc), क्षेत्रफल 252.61 वर्गगज एवं 2. **मैसर्स विनायक मेटा इस्पात (जयपुर) एलएलपी जरिये भागीदार श्री गणेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्त्व की औद्योगिक संपत्ति जो कि खसरा संख्या 211/498/2/1, 218/1, 220/1, 220/2/1, 221/1, 221/2/1, 221/3 (नये खसरा संख्या 211/509, 218/1, 220/1, 220/2, 220/511, 221/1, 221/2 एवं 221/3) ग्राम मण्डा, चौमूं, जयपुर में स्थित, क्षेत्रफल 26800 वर्गमीटर** (The building along with all constructed and superstructures, fixed assets, Embedded assets, etc) को बन्धक रख कर जरिये ऋण खाता संख्या 2226008701040855, ऋण खाता संख्या 222600EG00000037 एवं ऋण खाता संख्या 222600IL00000342, कुल राशि **31,67,00,000/–**रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **13.09.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **31,67,00,000**/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **31,91,25,866.31**/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **13.09.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने घारा—14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **1. श्रीमती अनिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री गणेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. ई—236, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर** (The building along with all constructed and superstructures, fixed assets, Embedded assets, Erctions, installations, open area etc), **क्षेत्रफल 252.61 वर्गगज** एवं **2. मैसर्स विनायक मेटा इस्पात (जयपुर) एलएलपी जरिये भागीदार श्री गणेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्त्व की औद्योगिक संपत्ति जो कि खसरा संख्या 211/498/2/1, 218/1, 220/1, 220/2/1, 221/1, 221/2/1, 221/3 (नये खसरा संख्या 211/509, 218/1, 220/1, 220/2, 220/511, 221/1, 221/2 एवं 221/3) ग्राम मण्डा, चौमूं, जयपुर में स्थित, क्षेत्रफल 26800 वर्गमीटर** (The building along with all constructed and superstructures, fixed assets, Embedded assets, etc) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **19.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर